कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः स्था./2018/01 दिनांक 28.06.2018

विज्ञप्ति

झालावाड़ न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर कुल 68 सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाऐं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पुर्ननियुक्ति पर दिनांक 31.03.2019 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाऐं ली जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 16.07.2018 को सांय 05:00 बजे तक अपना आवेदन इस कार्यालय में भिजवा सकता है। विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय झालावाड़ की वेबसाईड www.ecourts.gov.in/jhalawar अथवा www.districts.ecourts.gov.in/jhalawar पर एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

शर्तेः–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगें। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जावेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप मे मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगें। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी। उक्त सेवाऐं झालावाड़ न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयो पर रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 16.07.2018 को सांय 05:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैः–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र(एलपीसी)प्रति।
3. पी.पी.ओ. की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र(प्रारूप संलग्न है।)

(प्रभारी अधिकारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
झालावाड

Scanned by CamScanner